प्रेस नोट

दिनांक 30.04.2025

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गो तस्करी करने वाले वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0स0–101/25, धारा 352,351(3),61(2) बीएनएस व 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बच्चू पुत्र ताज मोहम्मद नि0 ग्राम हजरतपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को चौखडिया पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादी श्री शांत प्रकाश दुबे पुत्र अशोक दुबे निवासी ग्राम महंगूपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 01.04.2025 की रात्रि करीब 11 बजे गांव के ही विन्देश सिंह पुत्र अवधेश सिंह व मन्नू सिंह पुत्र तारकनाथ द्वारा अपने अन्य अज्ञात साथियों के साथ मिलकर एक अर्धनिर्मित मकान में लगे पिलर व पेड़ में छुट्टा जानवरों को बांध रखे थे तथा रात्रि में पिकअप लाकर उस पर जानवरों को पीटकर बेरहमी से लाद कर ले गए तथा मना करने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी है। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया गया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसमें थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा पूर्व में 05 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आज दिनांक 30.04.2025 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त बच्चू पुत्र ताज मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. बच्चू पुत्र ताज मोहम्मद नि0 ग्राम हजरतपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–101/25, धारा 352,351(3),61(2) बीएनएस व 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. उ0नि0 अमर पटेल।
02. का0 रामवीर यादव।
03. का0 अभिषेक यादव द्वितीय।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 30.04.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा 02 मोटरसाईकिल चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाईकिल बरामद–

कार्यवाही:–
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–220/25, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 मोटरसाईकिल चोरों–01. पवन कुमार पुत्र स्व0 बदलू, 02. अवधेश कुमार कुलदीप उर्फ सन्टी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की सुपर स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल को बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 28.03.2025 को वादी रामखेलावन मौर्य पुत्र रामतेज नि0 ग्रा0 मझारा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 27.03.2025 को वह अपनी सुपर स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल से दिवानी न्यायालय गोण्डा काम से गया था। जहां दिवानी न्यायालय के गेट नम्बर–02 से अज्ञात चोरों द्वारा उसकी सुपर स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल चोरी कर ली गयी है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 30.04.2025 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर घटना कारित करने वाले 02 शातिर चोरों–01. पवन कुमार पुत्र स्व0 बदलू, 02. अवधेश कुमार कुलदीप उर्फ सन्टी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की सुपर स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–
01. पवन कुमार पुत्र स्व0 बदलू नि0 मनोहरजोत थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. अवधेश कुमार कुलदीप उर्फ सन्टी पुत्र मुन्ना लाल कुलदीप नि0 पोर्टरगंज पथवलिया थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–
01. मु0अ0सं0–933/24, धारा 303(2) बीएनएस बढोत्तरी धारा 317(2),318(2),336(3),338,340(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 01 अदद चोरी की सुपर स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 अविनाश सिंह।
02. उ0नि0 शुभम दूबे।
03. हे0का0 मनोज कुमार।
04. का0 मदन त्रिवेदी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 30.04.2025

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद–

कार्यवाहीः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में खरगूपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्कर असफाक पुत्र खुन्नू बाबा नि0 गुलहरिया लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को कठौवा पुल नहर पटरी के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 30.04.2025 को थाना खरगूपुर के उ0नि0 अभयनारायण यादव मय हमराह के साथ शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि कठौवा पुल नहर पटरी के पास एक व्यक्ति के संदिग्ध दिखने पर रोक टोक कर चेक किया गया तो अभियुक्त असफाक पुत्र खुन्नू बाबा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. असफाक पुत्र खुन्नू बाबा नि0 गुलहरिया लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–75/2025, धारा 8/20 एनडीपीएस ऐक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अभयनरायण यादव।
02. हे0का0 राहुल मिश्रा।
03. का0 चेतन पाण्डेय।

मीडिया सेल, गोण्डा।